बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 7 स्था0 (7) विविध–30/2012.................. दिनांक– ..../2025

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी,
दानापुर, पटना।

विषयः– **डॉ0 प्रभात रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सराय, पटना के शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता के स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 234, दिनांक 11.11.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा डॉ0 प्रभात रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सराय, पटना के शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता के स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर वित्त विभाग के द्वारा संकल्प निर्गत की जाती है। तद्नुसार राज्य के किसी कार्यालय का शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता के दरों में संशोधन की जाती है।

प्रासंगिक पत्र के विषयांकित मामले में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043/वि0, दिनांक 11.10.2017 एवं पत्रांक 5810 वि0, दिनांक 04.08.1984 के आलोक में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृति के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु आप स्वयं सक्षम प्राधिकार है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सराय, पटना में पदस्थापित डॉ0 प्रभात रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के शहरी आवासीय भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता के अनुमान्यता के संदर्भ में उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में नियमानुकूल निर्णय लेते हुए तत्संबंधी मामले का निष्पादन अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (7) विविध–30/2012...508(नि0) पटना– 15, दिनांक– 05/02/2025

प्रतिलिपि :– डॉ0 प्रभात रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सराय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी,वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैंनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar 05.2.25
संयुक्त निदेशक (मु0)।